

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

वेदालीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-49/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1-झमकु देवी पत्नि बालुराम सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

- 1-श्यामलाल पिता किशना खाती नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-सम्पतलाल पिता किशना खाती नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-रामसहाय पिता किशना खाती नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-गीता पुत्री हेमा जाट नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-नाथू पिता हीरा जाट नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-उदा पिता छोगा जाट नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-देऊ बेवा भैरूलाल सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-गणपतलाल पिता भैरूलाल सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-कन्हैयालाल पिता बालुराम सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-पारसमल पिता बालुराम सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित-

1-हरिश टेलर-

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 06.06.2018


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट रायपुर में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 3372 रकबा 0.31 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 73 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीया को कास्त करने, कास्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने, मवेशी बगैरा चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 01 से 10 प्रार्थीया की उक्त आराजियात के पडौसी होने से उन्हें पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जबाव देते रहे हैं। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 23.03.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र

पेश करने हेतु विवश होना पडा है। बिनाय प्रार्थना पत्र 23.03.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। और यह बाद पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 23.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 01 से 10 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 3372 रकबा 0.31 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 73 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/- अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 200/- अक्षरे दो सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।


राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा